न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2021/64 दर्ज दिनांक : 12.08.2021

1. पंकज कुमार पुत्र स्व. काशीराम जाति नाई निवासी पुराना वार्ड संख्या 15, वर्तमान वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. विमला पत्नी स्व. स्व. काशीराम जाति नाई निवासी पुराना वार्ड संख्या 15, वर्तमान वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. हितेष पुत्र स्व. काशीराम जाति नाई निवासी पुराना वार्ड संख्या 15, वर्तमान वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. अनिता पुत्री स्व. काशीराम जाति नाई निवासी पुराना वार्ड संख्या 15, वर्तमान वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. रीना पुत्री स्व. काशीराम धर्मपत्नी श्री मनीष कुमार जाति नाई निवासी पुराना वार्ड संख्या 15, वर्तमान वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) वर्तमान निवास स्थान :– बीदासर, जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. लीलाधर पुत्र स्व. महावीर प्रसाद जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. राजू देवी पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी गोपालराम जाति नाई निवासिनी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)
4. कान्ता देवी पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी राजकुमार जाति नाई निवासिनी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)
5. संजू पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी हरिप्रसाद जाति नाई निवासिनी बीदासर, तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
6. नारायण प्रसाद पुत्र केसरदेव जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. विमला देवी पुत्री केसरदेव पत्नी मांगीलाल जाति नाई निवासिनी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
8. सम्पत्ति पुत्री केसरदेव पत्नी बजरंगलाल जाति नाई निवासिनी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. मंजू पुत्री केसरदेव पत्नी रमेश कुमार जाति नाई निवासिनी वार्ड संख्या 12, भरतिया कुए के पास, नई सड़क, चूरू
10. पूनमचंद पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. भींवराज पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

12. सुमित्रा पत्नी विश्वनाथ जाति नाई निवासिनी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. सुनील कुमार पुत्र विश्वनाथ जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. अमित कुमार पुत्र विश्वनाथ जाति नाई निवासी वार्ड संख्या 03, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. सांवरमल पुत्र तिलोकचंद जाति नाई निवासी सब्जी मंडी, चूरू तहसील व जिला चूरू
16. बेबी पुत्री स्व. पुष्पा (पिता का नाम सांवरमल) जाति नाई निवासिनी सब्जी मंडी, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. ममता पुत्री स्व. पुष्पा (पिता का नाम सांवरमल) जाति नाई निवासिनी सब्जी मंडी, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री विजयसिंह शेखावत
प्रतिवादी श्री महिमन जोशी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 01.12.2025

वादीगण की ओर से दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 88 का पेश कर निवेदन किया कि

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) से 13 (तेरह) एक ही परिवार के सदस्य है और उनकी वादगत खेत खसरा संख्या 307/1.8337 हैक्ट. रोही मौजा रतननगर में पैतृक सह–खातेदारी की है। वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज बींझाराम का कुर्सीनामा संलग्न है।
2. वर्तमान खसरा संख्या 307 की कुल कृषि भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 693 तादादी 12 बीघा 10 बिश्वा (कच्ची) काश्त योग्य कृषि भूमि थी जिसको स्वर्गीय श्योलाराम के पुत्र मोहनलाल, कश्तकारी अधिनियम 1956 में प्रभावी होने से पूर्व से ही काश्त करते चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद से उनके वारिसान अकेले ही समस्त कृषि भूमि पर आज भी बतौर खातेदार, काश्तकार काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में प्रतिवादीगण काश्तकार काबिज व काश्त करते चले आ रहे है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की कोई उजर व आपत्ति किसी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। दिनांक 11.05.1993 को स्व. मोहनलाल के पुत्रगण पूनमचंद, भीमसेन, विश्वनाथ, काशीराम एवं स्व. मोहनलाल की पत्नी लक्ष्मी देवी के मध्य फैमिली सेटलमेंट किया जकार खेत खसरा संख्या 307 की कुल भूमि 07 बीघा 05 बिश्वा रोही [illegible] तहसील चूरू वादीगण के पिता एवं पति स्व. काशीराम को भाई बंटवारे में दे दी ग[illegible] वादीगण ही समस्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार, काश्तकार काबिज व [illegible] अन्य वारिसान द्वारा इस संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

किसी भी प्रकार की कोई उजर व आपत्ति किसी भी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. वादीगण के अलावा स्व. मोहनलाल के पुत्रों व पत्नी पर वादगत कृषि भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेजात प्रतिवादी संख्या 18 के कार्यालय में प्रस्तुत कर वादगत कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया है मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 व प्रतिवादीगण संख्या 12 से 17 के पूर्वजों मालीराम, जमना देवी, केसरदेव, महावीर प्रसाद पत्नी व पुत्रगण स्व. मालीराम के वारिसान द्वारा अपने नाम से इंतकाल दर्ज नहीं करवाया गया था क्योंकि स्व. मालीराम के वारिसान का वादगत कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है और न ही उनका वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग ही रहा है। इसी प्रकार स्व. श्योलाराम के पुत्र महादेव प्रसाद जिनकी मृत्यु हो चुकी है के पुत्र श्यामसुन्दर अपने ससुराल में गोद चले गये है तथा स्व. सुखदेव के पुत्र दयाल थे और उनके एक पुत्र जवाहरमल था जो लावल्द फौत हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 9 व 12 से 17 वादगत कृषि भूमि की जमाबंदी में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है मगर जमाबंदी में दर्ज शुदा नाम स्व. मालीराम, महादेव प्रसाद के वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है ताकि उनके विरूद्ध वादीगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर उनका नाम बतौर खातेदार जमाबंदी, राजस्व अभिलेख में से दुरूस्त करवाया जा सके एवं वादीगण द्वारा इनके विरूद्ध अपने खातेदारी, काश्तकारी अधिकारों की घोषणा विधिवत रूप से करवाई जा सके और विधिनुसार कोई कानूनी नुक्श शेष न रह जावे।

4. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 व प्रतिवादीगण संख्या 12 से 17 को वादीगण द्वारा दिनांक 17.03.2021 को वादीगण के पक्ष में अपने अधिकारों को घोषित करवाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चलकर लिखापढ़ी करने एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा मगर उक्त प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया व कहा कि हमारा वादगत कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है इसलिए हम हमारा समय बर्बाद नहीं करेंगें, जिससे वादीगा व प्रतिवादीगण के मध्य वाद कारण उत्पन्न हो गया है और वादीगण के पास वादगत दावा के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने के कारण हस्तगत दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. वादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार, काश्तकार है और इस वजह से हस्तगत दावा प्रस्तुत करने का वादाधार एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 द्वारा वादगत कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से अंकित करवाये जाने से इंकार करने की दिनांक 17.03.2021 के वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त है।

6. प्रतिवादी संख्या 18 भूमि धारक है मगर उनके विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे कि राज्य सरकार के हित प्रभावित होते हो, ऐसी स्थिति में धारा 80 (अस्सी) जा. दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है और धारा 80 (अस्सी) जा. दी. का नोटिस दिये बिना ही दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 307 / 1.8337 हैक्ट. रोही मौजा रतननगर तहसील व जिला चूरू न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से हस्तगत दावा की सुनवाई का श्रवणाधिकार हर प्रकार से माननीय को प्राप्त होने से दावा वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक 17.03.2021 से अन्दर मियाद निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा वादी खिलाफ [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया [illegible] :–

(क) वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 307 / 1.8337 हैक्ट. रोही मोजा रतननगर तहसील व जिला [illegible] वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार राजस्व अभिलेख जमा[illegible] आदि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

पर वादीगण का नाम अंकित किया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की ओर से अधिवक्ता श्री महिमन जोशी ने वकालतनामा पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने से तनकी बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली सीधे साक्ष्यवादी में नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा PW-1, PW-2, PW-3 साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में रखी गई। न्यायालय द्वारा विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खेत खसरा संख्या 307/1.8337 हैक्ट. रोही मोजा रतननगर तहसील व जिला चूरू को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी आदि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन दरामद किया जावे एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई।

मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं दावा व संलग्न दस्तावेजात् प्रदर्श–1 अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) खसरा संख्या 307/1.8337 हैक्ट. रोही ग्राम रतननगर दावा वादीगण प्रत्येक का 1/120 हिस्सा खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 ए फेमील सेटल मेंट 11.05.1993 में खसरा संख्या 307 की 7 $^{1}/_{4}$ बीघा रोही रतननगर की भूमि काशीराम पुत्र मोहनलाल दिये जाने का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण द्वारा यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अंतर्गत यह घोषणा प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया था कि वे खसरा संख्या 307, रकबा 1.8337 हैक्टेयर, रोही, मोजा रतननगर, तहसील एवं जिला चूरू के खातेदार–काश्तकार हैं तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम हटाकर उनके नाम दर्ज किए जावे। वादीगण द्वारा उक्त दावा में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये गये हैं। कथित दिनांक 11.05.1993 का फैमिली सेटलमेंट न्यायालय में वैध प्रमाण के रूप में सिद्ध नहीं हुआ न इसकी पंजीकरण की प्रति व न ही इसके पक्षकारों का विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण द्वारा कब्जे का कोई ठोस, विश्वसनीय एवं निरंतर रिकॉर्ड (गिरदावरी, काश्त विवरण, राजस्व रसीदें आदि) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे कि भूमि पर उनका दीर्घकालीन, शांतिपूर्ण एवं निर्विवाद कब्जा रहा है। वादीगण यह भी सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों का जमीन से कोई संबंध नहीं रहा। अतः वादीगण अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। वादीगण द्वारा मांगी गई घोषणा आधारहीन प्रतीत होती है। अतः दावा खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को लिखवाया जाकर सुरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू